स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 109, दिनांक 18–04–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्यजीवों व उनके अंगों की तस्करी करने वाले तस्कर गोरखपुर से गिरफ्तार, प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के 676 अदद तोते (रोजरिंग पैराकीट) बरामद।

दिनांक 17–04–2024 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को अन्तर्राज्यीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति के वन्यजीवों व उनके अंगो की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के 676 अदद तोते (रोजरिंग पैराकीट) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार/मौके से फरार अभियुक्त का विवरणः–

1– मो0 इम्तियाज उर्फ विक्की पुत्र स्व0 इसरार, निवासी ग्राम रायगंज, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर।

2– रईस अहमद पुत्र अब्दुल रहमान, निवासी छोटे काजीपुर मिस्का टोला, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर।

3– मंसूर आलम पुत्र मो0 शहाबुद्दीन निवासी मिस्का टोला, थाना आलमगंज पो0–गुलजारबाग, जनपद पटना बिहार।

4– शमशाद पुत्र कबीर निवासी मिस्का टोला, थाना आलमगंज पो0–गुलजारबाग, जनपद पटना बिहार। **(मौके से फरार)**

बरामदगीः–

1–676 अदद तोता (रोजरिंग पैराकीट)।
2–08 अदद पिंजड़ा।
3–02 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन।
4–01 अदद की–पैड मोबाइल फोन।
5–13,300 रूपये नगद।
6–01 अदद महिन्द्रा बोलेरो सफेद रंग (यूपी 53 ए वाई 2100)

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

गोरखपुर कसया मार्ग थाना एम्स नंदानगर अण्डर पास, जनपद गोरखपुर, दिनांक 17–04–2024, समय 10:00 बजे रात्रि।

वन्य जीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो (WCCB), भारत सरकार की पहल पर एस0टी0एफ0 ने पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों एवं उनके शारीरिक अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहो के विरूद्ध एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों द्वारा वाइल्ड लाईफ संरक्षण हेतु अभिसूचना संकलन का कार्य एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाता है। इसी क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही **एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या** द्वारा अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि जनपद गोरखपुर में वन्यजीवों एवं संरक्षित प्रजाति के जीवों का अवैध व्यापार किया जा रहा है।

इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा, के नेतृत्व में मु0आ0 संतोष सिंह, मु0आ0 अंजनी कुमार यादव, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला व मु0आ0 विमलेन्द्र मोहन मिश्र की एक टीम जनपद गोरखपुर पहुँचकर जमीनी सूचना एवं अन्य स्रोतों से अभिसूचना संकलन द्वारा ज्ञात हुआ कि गोरखपुर कसया मार्ग थाना एम्स नंदानगर अण्डर पास जनपद गोरखपुर से प्रतिबंधित/संरक्षित प्रजाति के तोते (रोजरिंग पैराकीट) को अवैध व्यापार हेतु ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा श्री लव सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी तिलकोनिया जनपद गोरखपुर को सूचना से अवगत कराते हुए साथ लेकर दिनांक 17–04–2024 को समय लगभग 10:00 बजे रात्रि को उपरोक्त अभियुक्तों को गोरखपुर कसया मार्ग थाना एम्स नंदानगर अण्डर पास जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 676 अदद तोते (रोजरिंग पैराकीट) एवं अन्य बरामदगी (उपरोक्तानुसार वर्णित) हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग 7–8 वर्षो से सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर व मध्य प्रदेश से तोते व अन्य प्रतिबंधित/संरक्षित पक्षियो को लाकर बिहार व उसके निकटवर्ती प्रान्तो में थोक पर बेचते हैं। हम लोग के बाप–दादा भी यही काम करते थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त रईस अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–</u>

1–मु0अ0सं0–15/2023 धारा 308/323/504/506 भा0द0वि0, थाना कोतवाली, गोरखपुर।
2–मु0अ0सं0–284/2015 धारा 323/504/506 भा0द0वि0, थाना कोतवाली, गोरखपुर।
3–मु0अ0सं0–378/2007 धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना राजघाट, गोरखपुर।
4–मु0अ0सं0–433/2007 धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना राजघाट, गोरखपुर।
5–मु0अ0सं0–151/2014 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम, थाना राजघाट, गोरखपुर।
6–मु0अ0सं0–184/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली, गोरखपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध रेंज केस सं0–04/2024–2025 धारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977 की धारा 2, 16ख, 9, 39, 48, 49 बी, 50, 51, 52 क, 57 भारतीय वन अधिनियम तिलकानिया रेज, जनपद गोरखपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया, तत्पश्चात मा0 न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर अभियुक्तगणो को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अग्रिम शेष विधिक कार्यवाही गोरखपुर के सक्षम वन अधिकारी द्वारा की जायेगी।